भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1707

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

कर्नाटक में पीएम-कुसुम की समीक्षा

1707. श्री ई. तुकाराम:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह आकलन करने के लिए कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का अपेक्षित लाभ मिल रहा है, देश भर में इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के बेल्लारी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-कुसुम के तहत सौर पंपों, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जारी की गई केंद्रीय सहायता और लाभान्वित किसानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पीएम-कुसुम के लाभ को प्राप्त करने के संबंध में कम जागरूकता, कार्यान्वयन में देरी और किसानों को होने वाली कठिनाइयों के बावत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार जागरूकता को और बढ़ाने, कार्यान्वयन को सरल बनाने, पीएम-कुसुम का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने का है कि बेल्लारी के किसानों सहित अधिक से अधिक किसान स्वच्छ ऊर्जा और अतिरिक्त आय से लाभान्वित हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके योजना की प्रगति एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, ताकि जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन का आकलन किया जा सके तथा किसानों को लाभ सहित योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में कार्यान्वयन की प्रगति तथा उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले मुद्दों की समीक्षा के लिए समय-

समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाल ही में, योजना के कार्यान्वयन की प्रगति एवं संबंधित परिचालन विषयों की समीक्षा हेतु दिनांक 8 जुलाई, 2026 को राज्यों के प्रतिनिधियों तथा पैनलबद्ध विक्रेताओं के साथ भी एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान PM-KUSUM योजना के सभी घटकों के अंतर्गत 25.73 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है। योजना के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं तथा पिछले तीन वर्षों में जारी की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बल्लारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में योजना के घटक-B के अंतर्गत अब तक 186 सौर पंप स्थापित किए गए हैं।

(ग) मंत्रालय को समय-समय पर PM-KUSUM योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें जागरूकता, कार्यान्वयन की समय-सीमा तथा किसानों द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों से संबंधित विषय शामिल हैं। इन मुद्दों का समाधान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) तथा पैनलबद्ध विक्रेताओं के साथ आयोजित नियमित समीक्षा एवं मार्गदर्शन (Handholding) बैठकों के माध्यम से किया जाता है।

(घ) मंत्रालय ने योजना के सुगम कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है तथा दिनांक 17.01.2024 को व्यापक संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

PM-KUSUM योजना की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यापक जन-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इनमें राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) एवं विक्रेताओं के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें तथा राज्यों के जनप्रतिनिधियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

'कर्नाटक में पीएम-कुसुम की समीक्षा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 29.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1707 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत प्रगति तथा पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से 30.06.2026 तक) के दौरान जारी की गई निधियों का विवरण

राज्य का नाम	घटक-A (स्थापित क्षमता (मेगावाट)	घटक-B (स्थापित सौर पंपों की संख्या)	घटक-C (सौरीकृत पंपों की संख्या)	PM-KUSUM योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि (₹ करोड़ में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	-	573	-	
असम	-	1,595	-	10.67
बिहार	-	-	4,570	-
छत्तीसगढ	19.00	-	-	-
गोवा	4.00	200	700	0.43
गुजरात	-	20,328	3,03,256	741.54
हरयाणा	57.96	1,50,646	-	1,065.24
हिमाचल प्रदेश	80.30	602	-	7.43
जम्मू एवं कश्मीर	-	4,342	-	22.33
झारखंड	-	56,226	-	208.79
कर्नाटक	-	26,492	1,34,375	232.13
केरल	-	-	15,798	35.10
लद्दाख	-	265	-	2.34

मध्य प्रदेश	197.66	17,357	62,378	166.35
महाराष्ट्र	21.00	5,08,736	8,75,000	5,885.37
मणिपुर	-	132	-	1.12
मेघालय	-	63	-	0.31
मिजोरम	-	592	-	2.57
नगालैंड	-	265	-	1.86
ओडिशा	2.00	14,475	-	38.46
पुदुचेरी	-	-	-	-
पंजाब	-	5,096	25	55.99
राजस्थान	1,162.05	68,478	2,23,616	1,507.44
तमिलनाडु	3.00	2,142	-	21.63
तेलंगाना	79.00	-	-	-
त्रिपुरा	-	7,502	1,304	34.60
उतार प्रदेश।	1.00	51,493	10,398	416.31
उत्तराखंड	-	2,551	-	45.53
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
कुल	**1626.97**	**9,40,151**	**16,31,420**	**10,503.54**
